खर्चा सहित वसूली और वितरण से संबंधित खर्चों का ब्यौरा अनुपत्र में दिया गया है। [देखिए परिशिष्ट 168, अनुपत्र संख्या 59]

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**राज्यों के खाद्यान्न कोटा में वृद्धि**

1441. **श्री रामसिंह राठवा** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में हुई वृद्धि के आधार पर राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए उनके खाद्यान्न कोटे में वृद्धि करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान गुजरात के कोटे में की गई वृद्धि का ब्यौरा क्या है ?

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान प्रत्येक राज्य को आवंटित खाद्यान्न कोटे में की गई वृद्धि और चालू वर्ष के दौरान आवंटित किये जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा का ब्यौरा क्या है ?

**खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय)** : (क) से (घ) गुजरात सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय पूल से गेहूं और चावल के आवंटन केन्द्रीय पूल में उपलब्ध स्टाक, मौसमी उपलब्धता, उठान की प्रवृत्ति, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सापेक्ष आवश्यकताओं और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर प्रत्येक मास के आधार पर किए जाते हैं। गुजरात सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जनवरी, 1993 से सितम्बर, 1993 तक 3,10,500 मीटरी टन चावल और 4,91,500 मीटरी टन गेहूं आवंटित किया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य को मार्च, 1993 और उसके आगे 5,000 मीटरी टन प्रतिमास के हिसाब से ज्वार आवंटित की गई है।

एक विवरण संलग्न है जिसमें प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को 1989-90, 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान किए गए आवंटनों का ब्यौरा दिया गया है। [देखिए परिशिष्ट 168, अनुपत्र संख्या 60] वर्ष 1993-94 के दौरान किए गए/किए जाने वाले आवंटन उपर्युक्त तथ्यों पर निर्भर करेंगे।

**उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन**

1442. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष सितम्बर माह के अंत तक देश में होने वाले चीनी के कुल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कितना योगदान होने की संभावना है ;

(ख) पिछले वर्ष की तुलना में चीनी के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में चीनी का कितना उत्पादन हुआ है ?

**खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय)** : (क) चालू चीनी मौसम 1992-93 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान 31.7.1993 तक देश में हुए चीनी के कुल 104.95 लाख टन (अनंतिम) उत्पादन में से उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा 27.98 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया है।

(ख) और (ग) पिछले तीन चीनी वर्षों की तुलना में चालू चीनी वर्ष 1992-93 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान

उत्तर प्रदेश में चीनी के उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है। पिछले तीन चीनी वर्षों के दौरान चीनी के उत्पादन से संबंधित सूचना निम्न प्रकार है:-

| चीनी वर्ष (अक्तूबर-सितम्बर) | चीनी का उत्पादन (लाख टन) |
|---|---|
| 1989-90 | 30.08 |
| 1990-91 | 29.75 |
| 1991-92 | 36.53 |

**गन्ने का समर्थन मूल्य**

4443. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन** : क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1992-93 के गन्ना पिराई वर्ष के दौरान चीनी का उत्पादन कम होने की वजह यह थी कि चीनी मिलों को अपेक्षित मात्रा में गन्ना उपलब्ध नहीं हो सका था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सरकार इसके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए गन्ने का समर्थन मूल्य तत्काल बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ग) क्या यह भी सच है कि फरवरी, 1993 में सरकार ने वर्ष 1993-94 के लिए गन्ने के बढ़े हुए समर्थन मूल्यों की घोषणा की थी;

(घ) क्या यह भी सच है कि गन्ने का कम उत्पादन कृषि भूमि के उपयोग में परिवर्तन करने की वजह से हुआ, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा वर्ष 1991-92 की तुलना में वर्ष 1990-91 के दौरान कितनी अतिरिक्त जमीन पर गन्ने की खेती की गई;

(ङ) क्या यह भी सच है कि बिना किसी आधार के गन्ने के समर्थन मूल्य में वृद्धि करने से न केवल चीनी की उत्पादन लागत में वृद्धि होगी, जिससे चीनी का घरेलू मूल्य बढ़ेगा, बल्कि इसके साथ ही इससे एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जिसमें उत्पादन लागत अधिक हो जाने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यह चीनी नहीं बिकेगी और यदि बिक भी गई तो देश को विदेशी मुद्रा का घाटा उठाना पड़ेगा; और

(च) यदि हां, तो इसके संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

**खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय)** : (क) मौसमी स्थितियों के कारण गन्ने के उत्पादन में गिरावट आने और गन्ने के अंतर्गत क्षेत्र में गन्ने की बजाय अन्य फसलों की पैदावार करने और गुड़ और खण्डसारी क्षेत्रों को गन्ना बेच देने के प्रमुख कारणों से वर्तमान मौसम, 1992-93 में चीनी के उत्पादन में कमी हुई है।

(ख) गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। वर्ष 1993-94 के लिए सांविधिक न्यूनत मूल्य में वृद्धि करने और 1994-95 के मौसम के लिए सांविधिक न्यूनतम मूल्य की पेशगी घोषणा करने के लिए गन्ना मूल्य नीति के बारे में कृषि लागत और मूल्य आयोग की रिपोर्ट अब प्राप्त हो गई है और इस पर विचार किया जा रहा है।

(ग) केन्द्रीय सरकार गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 3 के उपबंधों के अधीन प्रत्येक बुवाई मौसम से पेशगी गन्ने के सांविधिक न्यूनत मूल्य की घोषणा करती है। तदनुसार, सरकार ने फरवरी, 1993 में 1993-94 के मौसम के लिए गन्ने के 32.50 रुपये प्रति क्विंटल (8.5 प्रतिशत की मूल रिकवरी पर) के सांविधिक न्यूनतम मूल्य की पेशगी घोषणा कर दी थी।